FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब ना म	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी		भंवरबाई पत्नी शुभकरण जाति चारण निवासी कचोलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक

राजस्व प्रार्थना पत्र – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र 183/2021 183/2021 **GCMS No.** 2021/224

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.06.2021	यह राजस्व प्रार्थना–पत्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला (नागौर) की ओर से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार कुचामनसिटी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस दौरान बताया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पालड़ी पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 606/76, 607/76 कुल रकबा 1.4280 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि को अकृषि (आवासीय) के रूप में बिना विहित प्राधिकारी की काम में लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नही है, अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पांबद फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 29.07.2021 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पालड़ी पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 606/76, 607/76 कुल रकबा 1.4280 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा मूल प्रकरण की सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी को नुकसान नही पहुचाये एवं अन्यत्र बेचान, हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे, एवं उक्त भूमि में किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नही करे, दौराने वाद विवादित आराजी को गैर कृषि कार्यो के लिये उपयोग में नही लेवे। पत्रावली दिनॉक 29.07.2021 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2021.12.21 17:06:49 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
29.7.2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 22.9.2021 को पेश हो।	

प्रार्थना पत्र -183/2021 सरकार / भंवर बाई
Rems- 2021/224

21.9.2021	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज समक्ष पर ली गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ~~खातेदारी~~ खातेदारी रूप में संपरिवर्तित हो चुकी है अतः प्रार्थना पत्र एवं अवशेष कार्यवाही निष्प्रयोजन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:06:49 IST
Reason: SelfAttested